

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
एम पी ई डी ए भवन, पनंपिल्ली एवन्यू
डाक पेटी सं. 4272, कोच्ची-682036, भारत

The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)
MPEDA House, Panampilly Avenue
P.B. No. 4272, Kochi-682 036, India



फोन } : 2311979, 2311901
Phone } : 2311854, 2311803
2313415, 2314468
2315065

फैक्स } : 91-484-2313361
Fax }

E-mail : mpeda@mpeda.nic.in
Website : http://www.mpeda.com

आरईजी-पीएफ/डीएफएचसी/1/2017-कोओर्ड

22/12/2017

संदर्भ / Ref:

तारीख / Date:


कार्यालय आदेश भाग 1 सं 05

विषय: सूखे मत्स्य हैंडलिंग केंद्रों का पंजीकरण - संबंधी

विभिन्न क्षेत्रों से सन्दर्भ प्राप्त हुआ है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) सूखे मत्स्य हैंडलिंग केंद्रों के लिए यह कहते हुए क्लियरेंस प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है, कि सूखे मत्स्य की पैकिंग को प्रसंस्करण के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और इसलिए यह उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि, एमपीईडीए के पंजीकरण मैनुअल के अनुसार पीसीबी क्लियरेंस अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए, सूखे मत्स्य के संभावित निर्यातकों को एमपीईडीए के साथ अपने हैंडलिंग केंद्रों को पंजीकृत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इस मुद्दे की विस्तार से जांच की गई तथा सूखे मत्स्य के संभावित निर्यातकों जिन्होंने हैंडलिंग केंद्रों में निवेश किया है और अपना व्यवसाय / निर्यात शुरू करने के लिए एमपीईए पंजीकरण के अनुमोदन का इंतजार कर रहे हैं, द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एवं व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए, सभी क्षेत्र / उप क्षेत्र को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित नियमों और शर्तों के तहत सूखे मत्स्य हैंडलिंग केंद्र का पंजीकरण करें;

1. सूखे मत्स्य हैंडलिंग केंद्रों के पंजीकरण के आवेदन के साथ, संबंधित स्थानीय निकाय का अनुमोदन एवं सभी अन्य दस्तावेज़ होना चाहिए तथा यह मात्र पीसीबी क्लियरेंस के संगत नियमों और दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित सभी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
2. संगत क्लियरेंस के लिए आवेदक से पीसीबी को पेश किए गए आवेदन की एक प्रति एवं पीसीबी से, लागू शुल्क की प्राप्ति की प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।
3. आवेदक यह वचन भी दे सकता है कि वह हैंडलिंग सुविधा की प्राप्ति के तुरंत बाद इस संबंध में पीसीबी क्लियरेंस प्रस्तुत करेगा।
4. संबंधित पीसीबी द्वारा क्लियरेंस के लिए संगत आवेदन को अस्वीकार करने की स्थिति में एमपीईडीए पंजीकरण को अमान्य माना जाएगा। यह पंजीकरण की पहली शर्त के रूप में आवरण पत्र में मुद्रित किया जाएगा।


(बी श्रीकुमार)
सचिव

वितरण : 1. सभी क्षेत्र / उप क्षेत्र / टीपीओ नई दिल्ली
2. प्रणाली विश्लेषक - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रति : निदेशक (वि), सं नि/ उ नि /स नि, मुख्यालय - सूचनार्थ

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
एम पी ई डी ए भवन, पनंपिल्ली एवन्यू
डाक पेटी सं. 4272, कोच्ची-682036, भारत

The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)
MPEDA House, Panampilly Avenue
P.B. No. 4272, Kochi-682 036, India



फोन } 2311979, 2311901
Phone } 2311854, 2311803
2313415, 2314468
2315065

फैक्स } : 91-484-2313361
Fax }

E-mail : ho@mpeda.gov.in

Website : www.mpeda.com

संदर्भ / Ref. REG-PF/DFHC/1/2017-COORD

तारीख / Date: 22/12/2017


OFFICE ORDER PART I No. 05

Sub: Registration of Dried Fish Handling Centers - reg.

References have been received from various regions that Pollution Control Board (PCB) is not issuing clearance certificate for Dried Fish Handling centers stating that the packing of dried fish is not recognized as processing and therefore it does not come under their purview. However, the PCB clearance is a mandatory requirement as per the Registration manual of MPEDA. Therefore, the prospective exporters of Dried Fish have been facing difficulties in registering their handling centers with MPEDA.

The issue has been examined in detail and in view of the difficulties being faced by the prospective Dried Fish exporters who have invested in the Handling Centers and awaiting approval of MPEDA registration for commencing their business/export and also to ensure ease of doing business, all RDs/SRDs are advised to register the Dry Fish Handling Centers subject to the following terms and conditions;

1. The application for registration of Dried Fish Handling Centers shall be accompanied with the approval of the concerned Local Body and all other documents and shall fulfill all other requirements as prescribed in the relevant rules and guidelines except only for the PCB clearance.
2. The applicant may be asked to submit a copy of the application submitted to the PCB for the relevant clearance and also the copy of receipt of applicable fee from the PCB.
3. The applicant may also submit an undertaking that he/she shall submit the PCB clearance in respect of the handling facility immediately on its receipt.
4. The MPEDA registration will be treated as invalid in the event of rejection of the relevant application for clearance by the concerned PCB. This shall be printed in the covering letter as the first condition of registration.


(B SREEKUMAR)
SECRETARY

Distribution: 1. All RDs/SRDs/TPO New Delhi
2. System Analyst – for information and necessary action.
3. DD (OL)- for translation

Copy to: Director (M)/JD/DD/AD in HO- for kind information.